

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

2020/00428

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 111/2020

प्रार्थी

अप्रार्थी

सत्मा जरीचे लहरीलडाए लरी वनाम सत्मा वेंपापत न लरी
किरम मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील मे जारी हुए
21/12/20	तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी मे मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शो मे दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो मे रेकर्ड, मौका व नक्शो मे गिन्नता आ रही है यथा किररी सरकारी खसरो मे से कई खातोदारो को पूर्व मे गे.मुवाडा एवं अन्य किरम के छोटे-छोटे रकवे के खसरो आवटित किये गये जिनका नामान्तरण पूशत कर नजरी नक्शा आवटन व आवटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं है। अत ऐसे खसरो को मूल खसरो मे एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी जाएवेत हुमो सत्मा जरीचे लहरीलडाए लरी मय अनुशंषा भूअनिरीक्षक सत्मा जरीचे लहरीलडाए लरी एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड मे एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो।	

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लूणी

(ज.जोधपुर)